मैसर्स पपोली लग्गा काफली और उडियार सोपस्टोन माईन तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 30.07.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स पपोली लग्गा काफली और उडियार सोपस्टोन माईन तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 2.413 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा लोक सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 27.02.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 28.03.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी, किन्तु लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 के फलस्वरूप सुनवाई स्थगित की गयी थी पुनः राज्य बोर्ड द्वारा जनसनुवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के अंक दिनांक 19.06.2024 के अंकां में प्रकाशित करायी गयी थी। तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2024 को निकट परियोजना स्थल तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्नीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री पी0एम0 जैन द्वारा समस्त लोगों का स्वागत कराते हुए इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना को DEIAA के द्वारा दिनांक 09.05.2018 को पर्यावरण मंजूरी निर्गत की गयी थी जिसके तहत खनन कार्य किया जा रहा था, परन्तु एनजीटी के आदेशानुसार ईसी पुर्नमूल्यांकन के SEIAA में आवेदन किया गया।

क्रमशः–2

जिसके तहत लोक सुनवाई आयोजित की जा रही है। प्रस्तावित परियोजना से 62 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। खनिज को बैग्स में भरकर खच्चरों के माध्यम से सड़क तक लाया जाएगा। धूल के दमन हेतु समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजा में पीने का पानी, धूल का दमन, पेड़ लगाने एवं शौचालय के लिए कुल 7.74 केएलडी पानी की आवश्यकता टैंकरों द्वारा की जायेगी। 01 अक्टूबर,2023 से 31 दिसम्बर,2023 तक के दौरान 08 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गई है। अध्ययन क्षेत्र के भीतर सभी मानक सीमा के भीतर पाये गये। खनन क्षेत्रान्तर्गत 04 स्थानों पर की गयी शोर की निगरानी कार्यक्रम के परिणामों दिन और रात के समय शोर का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया। 03 भूजल नमूनों और 02 सतही पानी के नमूनों के विश्लेषण से निकले निष्कर्ष सभी स्त्रोतों से भूजल पीने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। सतही जल विश्लेषण के नमूनों के अधिकांश पैरामीटर सी0पी0सी0बी0 के श्रेणी बी के अन्तर्गत है। खनन क्षेत्रान्तर्गत एकत्र किए गये मिट्टी के नमूने इंगित करते हैं कि मिट्टी रेतीली प्रकार की है। मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी। जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत वातावरण को प्रदूषण रहित रखने हेतु मात्र यूपीसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों का ही संचालन किया जायेगा। खनन गतिविधियों और मशीनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले अस्थाई धूल, कण जो प्रमुख प्रदूषक है के दृष्टिगत ट्रकों और टिपरों का अच्छी तरह से रख–रखाव किया जायेगा। खनन के समय श्रमिकों की सुरक्ष को ध्यान रखते हुए डस्ट मास्क, ईयर प्लग आदि का उपयोग कराया आज जायेगा। हॉल रोड और लोडिंग स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, डंप आदि के आसपास हरित पट्टी/पौधारोपण किया जायेगा। खनन कार्य करते समय शोर स्तर की तुलना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित मानकों के साथ की जाएगी जिस सरकार द्वारा अपनाया और लागू किया गया है। परियोजना से सतही जल विज्ञान और भूजल व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन से नदी के पानी, भूजल तथा अन्य किसी भी निकटतम जलाशय के पानी को कोई क्षति नहीं होगी। मानसून के समय खदा में एकत्रित पानी को पम्प की मदद से निकाला जायेगा और टैंकरों की मदद से पास के जल निकाय में प्रवाहित किया जायेगा।

क्रमशः–3

नालों में रेटाइनिंग वॉल और चैक डैम बनाये गये हैं एवं नाले के निचले हिस्से में सिलटेशन टैंक बनाया गया है जिससे खनन क्षेत्र से साफ पानी बाहर निकल जाय। विगत वर्षों में खनन क्षेत्रान्तर्गत एवं उसके आस–पास 2040 वृक्ष लगाये गये है। भविष्य में भी वन विभाग द्वारा चयनित स्थल, आस–पास के गांवों और कनैक्टिंग सड़कों पर स्थानीय प्रजाति के पौधों को लगाया जायेगा। परियोजना के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन हेतु पूजीगत लागत धनराशि रू0– 1.00 (लाख में) तथा पुनावर्ती लागत/वर्षवार धनराशि रू0– 6.85 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है इसी प्रकार सीईआर लागत के अन्तर्गत धनराशि रू0– 1.00 (लाख में) का प्राविधान प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना हेतु किया गया है परन्तु इसमें ग्रामीणों से प्राप्त सुझाव एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत ही प्रस्तावित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। खनन गतिविधियां पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जन शक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगों को वरीयता प्रदान की जायेगी। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री गोविन्द सिंह पपोला ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– सर्वप्रथम श्री गोविन्द सिंह पपोला द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0नि0 बोर्ड हल्द्वानी व उपस्थित जनता का जनसुनवाई में स्वागत व अभिनन्दन करते हुए अवगत कराया गया कि पट्टाधारक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा खनन परियोजना के संबंध में किये गये प्रस्तुतीकरण उपरान्त इस संबंध में अब कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, चूंकि प्रस्तुतीकरण में सम्पूर्ण वर्णन किया जा चुका है। पर्यावरणीय संतुलन एवं मानकों के अनुसार खनन कार्य किया जाता है तो खनन कार्य आर्थिकी की दृष्टि से क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो सकता है।

क्रमशः–4

राष्ट्रीयता की भावना से सोचा जाय तो वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य हेतु मैं सहमत हूँ। जिस प्रकार से झारखण्ड के भूखण्डों में लोहे की खानों की पड़ताल हुई और देश विकास की ओर अग्रसर हुआ उसी प्रकार उत्तराखण्ड के भूखण्डों से सोप स्टोन को निकालकर राष्ट्र की आय बढायी जा सकती है जिससे राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा और चहुमुंखी विकास होगा, पलायन रूकेगा एवं लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। पर्यावरण को सुरक्षित कर खनन कार्य होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण प्रथम है पर्यावरण सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। पर्यावरण सलाहकार के प्रस्तुतीकरण में समस्त चीजें आ चुकी हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने का दायित्व पट्टाधारक व स्थानीय ग्रामीणों का है। पट्टा क्षेत्रान्तर्गत लगाये गये पौधों की देखभाल करना एवं उनको सुरिक्षत रखनें का दायित्व भी पट्टाधारक है।

2. श्री विक्रम सिंह खाती (प्रधान), ग्राम पंचायत उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री सिंह द्वारा बताया गया कि परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा खनन परियोजना के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है। प्रस्तुतीकरण के अनुसार ही खनन कार्य होना चाहिए। पट्टाधारक स्थानीय लोगों को साथ लेकर कार्य करेंगे। पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से कई लोगों को रोजगार दिया गया है। खनन कार्य मानकों के अनुरूप पर्यावरण को संरक्षित करते हुए होना चाहिए।

3. श्री सुरेश सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री खाती द्वारा जनसुनवाई में सभी का स्वागत करते हुए कहा गया कि विषय यह है कि पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण के संबंध में क्या–क्या कार्य किये जा रहे हैं। पट्टाधारक द्वारा पेयजल की व्यवस्था हेतु 02 चौकीदार, प्रा0पा0, उडियार में 01 अध्यापक की व्यवस्था कर प्रतिवर्ष वृहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। पट्टाधारक एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा क्षेत्रान्तर्गत 7–8 लाख रू0 लागत की धर्मशाला का निर्माण किया गया है। खनन कार्य खान नियमों के भीतर रहकर किया जायेगा तो अच्छा है धूल के दमन हेतु पानी का छिड़काव किया जाता रहा है। प्रस्तावक गांव के अनुरूप कार्य करें ऐसे हम आशा करते तथा खनन कार्य किये जाने में सहमत हैं।

4. श्री प्रताप सिंह पपोला ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि समय व आर्थिकी के दृष्टिगत खनन कार्य सही है। जनता के हित व रोजगार के दृष्टिगत खनन कार्य होना चाहिए। खनन से काफी सुख सुविधाएं मिली हैं। खनन से गधेरो के अवरूद्ध होने, वर्षा से जगह–जगह पानी भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसे पट्टाधारक को देखने की जरूरत है। प्रस्तावक एक सामाजिक व्यक्ति है वह क्षेत्रान्तर्गत की हर सामाजिक एंव धार्मिक कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग करते आ रहे हैं जिससे क्षेत्र आगे बढ़ रहा है।

क्रमशः–5

5. श्री कुशल सिंह पपोला ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री सिंह द्वारा बताया गया कि वह पट्टा क्षेत्रान्तर्गत के भूमिधारी है। खनन उपरान्त मुआवजे का भुगतान समय पर प्राप्त होता है।

श्री भवान सिंह पपोला ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री भवान सिंह पपोला द्वारा बताया गया कि वह पट्टा क्षेत्रान्तर्गत के भूमिधारी हैं। खनन उपरान्त मुआवजे का भुगतान समय पर प्राप्त होता है। खनन से रोजगार प्राप्त हो रहा है। खनन से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

6. श्री गोविन्द सिंह पपोला ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री पपोला द्वारा बताया गया कि क्षेत्रान्तर्गत खड़िया रोजगार का साधन हैं। खड़िया खनन होना चाहिए।

7. श्रीमती रेवती देवी पपोला ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्रीमती रेवती देवी द्वारा स्थानीय भाषा में अवगत कराया गया कि खेती–बाड़ी से कुछ नहीं हो रहा है खड़िया खनन होना चाहिए।

8. श्री हिम्मत सिंह पपोला ग्राम पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री हिम्मत सिंह द्वारा बताया गया कि वह वर्ष,2002–03 से खनन में मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। जिससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। खनन कार्य होना चाहिए।

9. श्री दिनेश सिंह खाती उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री खाती द्वारा बताया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र से मिट्टी बहा दी जाती है। खनन से आवासीय भवनों में दरारें आ रही हैं। प्रा0पा0, उडियार का रास्ता जीर्ण–क्षीर्ण होने के कारण बच्चों को विद्यालय आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

10. श्रीमती गंगा देवी (प्रधान ग्राम), ग्राम पंचायत पपोली तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्रीमती गंगा देवी द्वारा पट्टाधारक से अनुरोध करते हुए कहा गया कि खनन से होने वाली शिकायतों का वह निराकरण कर नालों एवं खनन से भू–स्खलन का समाधान करें। खनन से ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। जिला खनिज न्यास से ग्राम पपोली अन्तर्गत एक चौकीदार रखे जाने का अनुरोध जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी महोदय से की गयी।

11. श्री दीपक सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री खाती द्वारा बताया गया कि खनन के कारण बरसती गधेरा समय–समय पर परिवर्तित हो रहा है। खेतों को नुकसान हो रहा है। भू–कटाव व आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न हो रहा है जिसकी जांच होनी अनिवार्य है।

12. श्री सुरेन्द्र सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री सुरेन्द्र सिंह खाती द्वारा बताया गया कि खनन से भू–कटाव हो रहा है। खनन की मिट्टी से आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है।

क्रमशः–6

13. श्री दीवान सिंह पपोल (पट्टाधारक)– पट्टाधारक द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं सम्भ्रान्त जनता का स्वागत अभिनन्दन करते हुए बताया गया कि जहां तक गधेरे में मिट्टी फेके जाने की शिकायत है वहां पर गधेरे के दोनों ओर से दीवाल लगा रखी है। गधेरे में खनन क्षेत्र के नाम मात्र की भी मिट्टी नहीं फेकी जाती है। स्कूल का रास्ता एकदम क्लियर है जहां पर पहले 1 फीट का रास्ता था वहां पर अब चौड़ा रास्ता बना दिया गया है तथा श्री लक्ष्मण सिंह का खनन क्षेत्र से विस्थापन कर, भूमि क्रय कर 08 कमरों का आवासीय भवन बनाया गया है संबंधित के साथ एग्रीमेण्ट बना हुआ है चैक के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। तद्क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत अथवा खनन क्षेत्र के आस–पास जिन भी आवासीय भवनों को खनन से खतरा उत्पन्न हो चुका है का विस्थापन किया जाना पट्टाधारक का उत्तरदायित्व है। जहां तक पट्टाधारक द्वारा मुआवजा न दिये जाने का प्रश्न है। मुआवजे विवाद के निपटारे हेतु जिलाधिकारी महोदय अधिकृत हैं। जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा विवाद सुलझाया जा सकता है। यदि पट्टाधारक एवं काश्तकार के मध्य हुये अनुबन्ध की शर्तों का किसी भी एक पक्ष द्वारा उल्लंघन किया गया है तो प्रकरण में मा0 न्यायालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर मा0 न्यायालय से विवाद का निर्णय लिया जा सकता है।

14. श्री लक्ष्मण सिंह खाती ग्राम उडियार तहसील दुग नाकुरी बागेश्वर– श्री लक्ष्मण सिंह खाती द्वारा बताया गया कि मौजूदा खनन से नरसिंह देवता के मंदिर को खतरा उत्पन्न हो चुका है। बच्चों के स्कूल का रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। खनन क्षेत्र से मिट्टी व पत्थरों के बहने के कारण उनके आवासीय भवन को खतरा है। भूमि का कोई भी मुआवजा पट्टाधारक द्वारा नहीं दिया गया है वह एक गरीब आदमी हैं।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव / आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

कमशः–7

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

दीवान सिंह पपोला ग्राम - काफली, तहसील - दुग नाकुरी, जिला - [बागे]श्वर द्वारा प्रस्तावित मै० पपोली लागा काफली और उडियार सोपस्टोन [मा]ईनिंग (क्षे० 2.413 है०) हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण-

सुनवाई स्थल - निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि - प्रातः 11 बजे, दि० 30/07/2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1-	एन. एस. नबियाल	अपर जिलाधिकारी बागेश्वर	
2-	हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञानिक अधिकारी उ० प्र०नि० बोर्ड	[signature]
3-	पी० एम० जैन	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4-	योगेश सिंह रावत	अनु० सहायक उ० प्र० नि० बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
5-	कुन्दन राम तिरुवा	PA to ADM	[signature]
6-	दीपक कौशल	रा० उ० मा० वि० उडियार	[signature]
7-	शेखर सिंह पपोला	काफली	Shekhar
8-	दीवान सिंह पपोला	माइन ओनर	[signature]
9-	विक्रम सिंह रवाली	उडियार प्रधान	[signature]
10-	सागर कुमार सिंह	काफली-	[signature]
11-	शेर सिंह	उडियार	[signature]
12-	शंकर गिरी गोस्वामी	उडियार	[signature]
13-	प्रदीप पपोला	काफली	[signature]
14-	लक्ष्मण सिंह	उडियार	लक्ष्मण सिंह
15-	रवीन्द्र सिंह	उडियार	[signature]
16-	कमल सिंह	उडियार	कमल
17-	राजेन्द्र सिंह	उडियार	Rajendra
18-	माधो सिंह	काफली	माधो सिंह
19-	चन्द्र सिंह	काफली	[signature]
20-	उदय सिंह रवाली	उडियार	उदय सिंह
21-	आनन्द सिंह	उडियार	[signature]
22-	भवान सिंह	गाढ़ा	[signature]
23-	महिपाल सिंह	उडियार	[signature]
24-	रतन गिरी	उडियार	[signature]
25-	हीरा सिंह	उडियार	[signature]
26-	पवन सिंह रवाली	उडियार	[signature]

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
27	प्रेम गिरी गोस्वामी	उडियार	Goswami
28	सुन्दर सिंह रावत	उडियार	[illegible]
29	बीरसिंह	उडियार	[illegible]
30	रविन्द्र रावत	उडियार	Ravi
31	सरल सिंह	उडियार	Suren
32	नरेन्द्र सिंह	उडियार	[illegible]
33	मनोज सिंह	Udiyar	[illegible]
34	Surendra singh	काफली	[illegible]
35	[illegible]	काफली	Lakhi
36	गोकुल सिंह	पपोली	[illegible]
37	ईश्वर सिंह पपोला	उडियार	[illegible]
38	मोहन रावत	काफली	[illegible]
39	दीपक सिंह	उडियार	[illegible]
40	तारा सिंह	उडियार	[illegible]
42	[illegible]		[illegible]
43	Krishna Singh Papola	Kafali	HS Rauti
44	हिम्मत सिंह रावत	उडियार	नवीन सिंह
45	नवीन सिंह	पपोली	[illegible]
46	Harish singh Papola	Kafali	Satish
47	Satish Singh	Kafali	[illegible]
48	दीपक रावत	उडियार	[illegible]
49	इन्द्र सिंह	काफली	[illegible]
50	किशन सिंह रावत	उडियार	डुंगरसिंह
51	डुंगर सिंह पपोला	पपोला	[illegible]
52	भास्कर पपोला	काफली	[illegible]
53	चन्दन सिंह पपोला	पपोली	[illegible]
54	Ashutosh Papola	Kafali	[illegible]
55	Tripti Papola	Kafali	Tripti
56	ज्योति	काफली	[illegible]
57	दीपा देवी	पपोली	[illegible]
58	गंगा देवी	पपोली	[illegible]
59	रतन सिंह पपोला	पपोली	[illegible]
60	कमला देवी	पपोली	[illegible]
61	भवान सिंह	पपोली	[illegible]
62	गोविन्द सिंह	पपोली	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]

जन सुनवाई
खनन परियोजना : पपोली लठगा काफली और उडियार सोपस्टोन माईन
ग्राम- पपोली काफली और उडियार, तहसील - दुग नाकुरी, जिला - बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सोपस्टोन माइनिंग क्षेत्रफल: 2.413 है
सुनवाई स्थल - निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि- प्रातः 11 बजे, 30/07/2024
पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका स्वागत है।
आयोजक - क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)
परियोजक प्रस्तावक- श्री दीवान सिंह पपोला
पर्यावरणीय सलाहकार- कॉन्फिनेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
B-02, H-61, SECTOR-63, NOIDA (U.P)
UKPCB

जन सुनवाई
खनन परियोजना : पपोली लठगा काफली और उडियार सोपस्टोन माईन
ग्राम- पपोली काफली और उडियार, तहसील - दुग नाकुरी, जिला - बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सोपस्टोन माइनिंग क्षेत्रफल: 2.413 है
सुनवाई स्थल - निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि- प्रातः 11 बजे, 30/07/2024
पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका स्वागत है।
आयोजक - क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)
परियोजक प्रस्तावक- श्री दीवान सिंह पपोला
पर्यावरणीय सलाहकार- कॉन्फिनेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
B-02, H-61, SECTOR-63, NOIDA (U.P)
UTTARAKHAND
UKPCB